नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Raipur Main - 27 Jul 2025 - 27p12
epaper.navabharat.news

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिले पदोन्नति व पुनरीक्षित पेंशन लाभ : हाईकोर्ट

पात्र होने के बावजूद पदोन्नत नहीं किए गए थे, पेंशन लाभ से भी वंचित थे

नवभारत ब्यूरो। बिलासपुर। उच्च न्यायालय ने पात्र होने के बावजूद पदोन्नति से वंचित कर दिए गए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पदोन्नति एवं पुनर्निरीक्षित पेंशन लाभ देने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि वह सेवानिवृत्त उप-वनक्षेत्रपालों मंगलू राम बघेल और सीताराम को नोशनल (काल्पनिक) पदोन्नति प्रदान करे तथा उनके पेंशन लाभों का पुनः निर्धारण करे। दोनों अधिकारियों को विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा पात्र पाए जाने के बावजूद वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया था। ये याचिकाएं मंगलू राम बघेल और सीताराम द्वारा अधिवक्ता जितेन्द्र पाली, अनिकेत वर्मा एवं विवेक श्रीवास्तव के माध्यम से उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिन्हें 20 जून 2025 के आदेश द्वारा एक साथ निराकृत किया गया।

यह उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा 16 फरवरी 2015 को ही परिपत्र जारी कर यह निर्देशित किया गया था कि विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा के 20 कार्य दिवसों के भीतर पदोन्नति आदेश करना आवश्यक है। इसके पश्चात भी संबंधित अधिकारियों द्वारा पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया गया। क्षुब्ध होकर सीताराम ने उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर प्रार्थना की कि , उन्हे सेवानिवृत्ति के पूर्व उनका पदोन्नति आदेश जारी किया जाए। इसी बीच में राज्य 02 जनवरी 2020 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का पुर्नविलोकन किया गया, जिसमें दोनों अधिकारियों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पुनः पात्र पाया जाकर वन क्षेत्रपाल के पद पर 02 जनवरी 2020 की स्थिति में पदोन्नति हेतु अनुशंसा की। इसके बाद भी विभाग ने अधिकारियों को पदोन्नति प्रदान नही की,जिसके कारण उच्च न्यायालय की शरण ली।